न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 196/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. मांगीलाल पिता श्री सरीलाल माली, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती तख्त कुंवर उर्फ जस कुंवर पत्नी श्री सज्जनसिंह राजपूत, निवासी रतनपुर की सराय (उखलामगरी), वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. भूरा पिता श्री चेना माली, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. पन्नालाल पिता श्री भोला माली, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. प्रताप पिता श्री चेना माली, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्यारचन्द पिता श्री चमना माली, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती देऊ बेवा भोलीराम माली, निवासी वल्लभनगर (मृतक) के बजाय :–

2/1. श्रीमती आशा माली पत्नी राजू भाई माली, निवासी इंटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. श्रीमती सीता माली पुत्री स्वर्गीय भोलीराम पत्नी वजेराम जी माली, निवासी कसोजो का खेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. श्रीमती राधा माली पुत्री स्वर्गीय भोलीराम पत्नी श्यामलाल जी माली, निवासी गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. शंकरलाल पिता श्री चेना माली, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 12.06.2015 प्र.सं. 112/2014

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री एस. पी. गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक रे.सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं.4

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:42:57 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 21–09–2021</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वल्लभनगर में आराजी नंबर 1788/1 रकबा 4 बिस्वा 15 बिस्वांसी, आराजी नंबर 1788 रकबा 4 बिस्वा 5 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1789 रकबा 4 बिस्वा आ.चा. स्थित होकर 1/3 हिस्सा मुझ वादी के नाम एवं 1/3 हिस्सा मांगीलाल एवं मांगीलाल की माता श्रीमती प्रताबी बाई के नाम दर्ज है तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3, 4 एवं 5, 6 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात में से आराजी नंबर 1789 रकबा 4 बिस्वा आ.चा. एवं 1 बिस्वा आराजी नंबर 1788/1, 1788 में से हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण आराजियात में से 1/3 हिस्सा देकर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। तब से वादी को प्राप्त उक्त आराजियात पर वादी का कब्जा चला आ रहा है, जिसमें प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। आराजी नंबर 1789 में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं होते हुए भी मात्र हिस्सा दर्ज होने से 1/10 हिस्से की रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कर दी गयी है, जबकि उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा, केवल नुमाईशी विक्रय किया गया है, जो वादी के मुकाबले शून्य प्रभावी है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 1789 रकबा 4 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1788/1, 1788 रकबा 1 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 12–06–2015 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 30–11–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री विजय कुमार ओस्तवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:42:57 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 29–11–2017 को हुई। जानकारी होने पर दिनांक 01–11–2017 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकल उन्हें 08–11–2017 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 29–11–2017 को उन्हें निर्णय व डिक्री जानकारी हुई, जबकि दूसरी ओर उनका कहना है कि दिनांक 01–11–2017 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकल उन्हें 08–11–2017 को प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर एवं गलत तथ्य बताकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अपील इसी आधार पर निरस्त योग्य है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 29–11–2017 को विपक्षी द्वारा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर चूने की लाईन डाले जाने पर उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, जबकि दूसरी ओर उनका कहना है कि दिनांक 01–11–2017 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकल उन्हें 08–11–2017 को प्राप्त हुई। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्य अंकित करते हुए झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट को दिनांक 12–06–2017 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखे जाने की कोई सूचना नहीं दी गयी एवं प्रकरण अपीलान्ट की तामिल में चल रहा था। वादी ने पूर्व में बंटवारा होने का कथन किया है, जबकि पक्षकारों के मध्य पूर्व में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त भूमि रोड़ से लगी होने से भूमि का मूल्य बढ़ जाने से वादी के मन में लालच आ [illegible]नगढन्त वाद प्रस्तुत किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:42:57 IST
Reason: SelfAttested

है, जिस सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र वादी के कथनों के आधार पर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को बिना सुने वाद डिक्री कर दिया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को प्रकरण की जानकारी होते हुए भी करीब 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है एवं मयाद प्रार्थना पत्र में मनगढन्त तथ्य अंकित करते हुए झूठे शपथ पत्र को आधार बनाकर न्यायालय को गुमराह करना चाहते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा प्रपत्र दिनांक 12–06–2015 पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि दिनांक 12–06–2015 को स्वयं अपीलान्ट मांगीलाल राजस्व कैम्प में उपस्थित था, फिर भी उसके द्वारा 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है एवं देरी को कण्डोन कराने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्य अंकित किये हैं। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–06–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 21–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:42:57 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

मांगीलाल पिता श्री सरीलाल माली, नि0 वल्लभनगर, तह0 वल्लभनगर, उदयपुर व अन्य बनाम **प्यारचन्द पिता श्री चमना माली, नि. वल्लभनगर, तह. वल्लभनगर, जिला जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**196/17**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी** .....
..... **वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**12**.....माह.....**06**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**09**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजर...**श्री एस.पी. गोस्वामी.**.मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री विजय कुमार ओस्तवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–06–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**09**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:42:57 IST
Reason: SelfAttested